राजस्व वाद संख्या 106 / 2021
GCMS NO. 2021 / 206
मोहरसिंह वगै0 बनाम अनिल वगै0
आदेश दिनांक 15.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : सुमन देवी
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 106 / 2021

GCMS No. 2021 / 206

1. मोहरसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
2. शारदा पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर पत्नी सुभाषचन्द्र हाल निवासी लाम्बा तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।
3. सुमन पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर पत्नी महेन्द्र हाल निवासी लाम्बा तहसील चिडावा जिला झुंझुनू ।
4. सुलोचना पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर पत्नी अशोक हाल निवासी गोखरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू ।

—आवेदकगण—

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2. अमित कुमार उम्र 16 वर्ष पुत्र संजय कुमार जरिये सरंक्षक माता सुनिता देवी जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
3. काशीराम पुत्र चंदगीराम जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4. विनोद पुत्री चंदगीराम जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज.।
5. शंकरलाल पुत्र चंदगीराम जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
6. सुन्दर पुत्री चंदगीराम जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
7. सुनिता देवी पत्नी संजय कुमार जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
8. सुमित पुत्र संजय कुमार नाबालिग जरिये सरंक्षक माता सुनिता देवी जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
9. रोहिताश पुत्र बिरबल जाति, जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

राजस्व वाद संख्या 106 / 2021
GCMS NO. 2021 / 206
मोहरसिंह वगै0 बनाम अनिल वगै0
आदेश दिनांक 15.10.2025

10. लिखमाराम पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
11. हरलाल पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
12. कगला पत्नी पेपाराम जाति जाट निवासी जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
13. कविता पुत्री रेखाराम जाति जाट निवासी जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
14. गोरधन पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
15. जयसिंह पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
16. दुर्गा देवी पत्नी रेखाराम, जाति जाट निवासी जवाहरपुरा आवे तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
17. रघुवीर सिंह पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
18. रोशनी पुत्री पेपाराम जाति जाट निवासी जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
19. विजेन्द्र पुत्र पेपाराम जाति जाट निवासी जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
20. संतोषी पुत्री रेखाराम जाति जाट निवासी जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
21. सुमेर पुत्र पेपाराम जाति जाट निवासी जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
22. सरोज पुत्री रेखाराम जाति जाट निवासी जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
23. सिरोजनी पुत्री रेखाराम जाति जाट निवासी जवाहरपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
24. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टमकोर जरिये शाखा प्रबन्धक
25. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाबासर जरिये शाखा प्रबन्धक
26. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनू।

—अनावेदकगण—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

राजस्व वाद संख्या 106 / 2021
GCMS NO. 2021 / 206
मोहरसिंह वगै0 बनाम अनिल वगै0
आदेश दिनांक 15.10.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – श्री जयसिंह गौड़
वकील अप्रार्थी–

निर्णय

दिनांक 15.10.2025

संक्षेप मे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम टमकोर पटवार हल्का टमकोर तहसील मलसीसर की सरहद में भूमि ख0न0 343 रकबा 2.09 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि आवेदकगण की पैत्रिक खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिसपर आवेदकगण काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि में आने जाने के लिये आवेदकगण, अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 23 की कृषि भूमि ख0न0 318 मे से टमकोर से लोहसना जाने वाले कदीमी प्रचलित रास्ते से नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित बिन्दू ए से बी तक खसरा न. 314 एवं 315 की पश्चिमी सीमा के सहारे आते जाते रहे है तथा उक्त रास्ते से आवेदकगण अपने खेतो में कृषि कार्य हेतु आवागमन बाबत ऊंट गाडा, ट्रेक्टर वगैरह भी इसी रास्ते से लाते ले जाते रहे हैं। आवेदकगण के पास अपने खेत में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है इसलिये आवेदकगण नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू ए से बी 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज करवाना चाहते है। आवेदकगण उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. की दुगुनी राशि का भुगतान करने के लिये तैयार है। आवेदकगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण को अपनी भूमि खेत ख0न0 343 मे आने जाने के लिये अनावेदकगण की भूमि खेत ख0न0 318 में टमकोर से लोहसना जाने वाले कदीमी प्रचलित रास्ते से खसरा न. 314 एवं 315 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित बिन्दू ए से बी तक 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अकंन किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 23 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 23 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने परएकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर के पत्र क्रमांक 1120 दिनांक 31.05.2025 से रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त भूमि में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

पहूंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण की भूमि खेत ख0न0 318 में टमकोर से लोहसना जाने वाले कदीमी प्रचलित रास्ते से खसरा न. 314 एवं 315 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित बिन्दू ए से बी तक 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का निवेदन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 343 में आने जाने के लिये अनावेदकगण की भूमि खेत ख0न0 318 में टमकोर से लोहसना जाने वाले कदीमी प्रचलित रास्ते से खसरा न. 314 एवं 315 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित बिन्दू ए से बी तक 12 फुट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदकगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

की रिपोर्ट एवं आवेदकगण की ओर से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण को खेत खसरा नम्बर 343 में आने–जाने के लिये ख0न0 318 में टमकोर से लोहसना जाने वाले कदीमी प्रचलित रास्ते से ख0न0 314 एवं 315 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित बिन्दू ए से बी तक 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में अपने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदकगण से वसूल कर ख0न0 318, 314, 315 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मलसीसर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर